बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।

कार्यालय आदेश सं0:– 15.   मढ़ौरा/दिनांकः– 3875.

–:कार्यालय आदेशः–

सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांकः-1196, दिनांकः- 23-12-2021 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार में इस कार्य प्रमंडल के प्रखण्ड–मढ़ौरा अंतर्गत संवेदक श्री आनन्द मोहन सिंह को MMGSY योजनान्तर्गत आवंटित एवं एकरारित पथ **(1.) मुरा मंदिर से भोला राय के बथान तक** का समयवृद्धि की मॉग संवेदक **आनन्द मोहन सिंह, नेहरू चौक, गरखा पथ, छपरा, पिन कोड**-841301 द्वारा दिनांकः- 22-02-2022 (B) तक की गई है। संवेदक से प्राप्त समयवृद्धि अनुरोध–पत्र से संज्ञान में आया है कि पूर्व वर्ष में आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि के जल–जमाव के कारण पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नही किया जा सका है, चूकि एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांकः-21-05-2021(A) थी।

अतः उक्त विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से प्राप्त अनुशंसा के उपरान्त उक्त पथ को A+B/2 अवधि का समय विस्तार की स्वीकृति अद्योहस्ताक्षरी द्वारा श्री आनन्द मोहन सिंह, संवेदक को दिनांकः-22-02-2022 तक दी जाती है, चुकि उक्त पथ के समयवृद्धि हेतु विहित–प्रपत्र प्रस्ताव पर संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा अनुशंसा प्राप्त है। संवेदक को दी जाने वाली समयवृद्धि के आलोक में कोई अतिरिक्त वित्तिय लाभ दे नही होगा।

संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से प्राप्त अनुशंसा पत्र के दृष्टान्त के आधार पर पथ दिनांक**:-22-02-2022** तक निम्नांकित शर्त्तो के अधीन समयवृद्धि की स्वीकृति दी जाती हैः–

➡ 1. संबंधित संवेदक एवं सहायक अभियंता/कनीय अभियंता कार्य को दी गई उक्त समयवृद्धि तक कार्य को पूर्ण कराना अनिवार्य है एवं नियत समयावधी पर वर्तमान में कार्य किया जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब की स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से दोषी माने जायेगें एवं समयवृद्धि के अन्तर्गत अन्य कोई मुल वृद्धि का दावा/अनुरोध अनुमान्य नही होगा, चूकि वर्तमान में इसकी प्रविष्टि विभागीय MIS पर की जानी है।

➡ 2. सहायक अभियन्ता/कनीय अभियंता व्यक्तिगत रूप से संवेदक के द्वारा किये गये उक्त कार्य का निरीक्षण/जाँच–पड़ताल कर आश्वस्त हो लेंगे कि कार्य विशिष्टियों के अनुसार कराया जा रहा है/पूर्ण किया गया है।

➡ 3. संवेदक द्वारा कराये गये कार्य के विरूद्व किसी भी स्तर से किसी भी प्रकार का NQM/SQM/I.E. द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई हो इस विषय पर संबंधित सहायक अभियंता आश्वस्त हो लेगें।

उक्त कंडिकाओं के कार्यायर्थ एवं अनुपालानार्थ समयवृद्धि की स्वीकृती दिनांक**:-22-02-2022** तक दी जाती है।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।